(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार नई गठित समिति की सिफारिशें/उसके विचारों को अक्षरशः लागू करेगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने लघु उद्यमों पर आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की है:—

1. **निवेश सीमा को बढ़ाना**

सरकार ने लघु उद्योग/सहयोगी इकाइयों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश सीमा को 60/75 लाख रुपये से 300 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जैसाकि समिति द्वारा सिफारिश की गई है। इस सम्बन्ध में प्रारूप अधिसूचना 20/21 मार्च, 1997 को संसद के पटल पर रख दी गई है। अधिसूचना संसद के 30 बैठक दिवस की समाप्ति पर जारी किया जायेगा।

2. **अति लघु उद्यमों को उधार की आवश्यकता**

सरकार ने अति लघु क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को आवंटित प्राथमिक क्षेत्र का न्यूनतम 60 प्रतिशत ऋण नियत करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता में एक अन्तः मंत्रालय समिति का गठन किया है जिसमें अन्य संबंधित मंत्रालय/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि हैं। समिति का स्वरूप विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(च) सरकार उन सिफारिशों को कार्यान्वित करती है जो वांच्छनीय तथा व्यवहार्य पाई जायेगी।

विवरण

सिफारिशों की जांच करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के ध्येय से, सचिव (ल०उ० एवं कृ०ग्रा०उ०) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसमें भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. अवर सचिव तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) उद्योग मंत्रालय।
2. संयुक्त सचिव, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
3. आर्थिक सलाहकार तथा अपर विकास आयुक्त (ल०उ०) उपायुक्त (ल०उ०) का कार्यालय।
4. योजना आयोग का मनोनीत।
5. भारतीय रिजर्व बैंक का मनोनीत।
6. श्रम मंत्रालय का मनोनीत।
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मनोनीत।
8. वाणिज्य मंत्रालय का मनोनीत।
9. कपड़ा मंत्रालय का मनोनीत।
10. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का मनोनीत।
11. राजस्व विभाग का मनोनीत।
12. बैंकिंग विभाग का मनोनीत।
13. कानूनी कार्य विभाग का मनोनीत।
14. रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग का मनोनीत।
15. पर्यावरण विभाग के मनोनीत।
16. अध्यक्ष, एन०एस०आई०सी०लि०, नई दिल्ली।
17. प्रबन्ध निदेशक, एस०आई०डी०बी०आई०।

Review of Industrial Policy

1293. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to review industrial policy in view of the fall in industrial growth rate figures for 1996-97, expected to touch a low of seven percent;

(b) if so, whether some major policy correctives for some important industries like paper, cement etc. have already been worked out; and

(c) the reasons for this fall in industrial growth rate as compared to the year 1995-96?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) While the review of Industrial Policy is a continuous process, sector specific strategies have been initiated in under performing sectors. The credit policy announced by RBI would improve availability of credit at softer terms to industry. Initiatives have also been taken in Union

Budget for further improving the investment climate in general and removing infrastructural bottlenecks for accelerated overall industrial growth including paper and cement sectors. Measures to increase the production/availability of paper in the country, interalia, also include levy of low excise duty on paper manufactured with not less than 75% non-conventional raw material, reducing excise duty on wood based paper and paper board, reducing custom duty on import of wood logs and wood chips, coal and chemicals used in the paper industry.

(c) Decelcration in industrial growth in 1996-97 has mainly been due to under performance of crude petroleum, consumer durables, electricity and capital goods.

MNCs not bringing the latest technology

1294. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries has stated that multinational companies (MNCs) are not brining the latest technology with them, as reported in the Hindu dated 26th May, 1997;

(b) if so, whether at the time of giving approvals for foreign collaboration agreement or while setting up 100% foreign subsidiaries does such agreements contain adoption of latest technology;

(c) if so, whether any monitoring is done that the conditions regarding adoption of latest technology has been fulfilled; and

(d) if not, what action is taken in such cases?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The Newspaper Report of 26th May in "The Hindu" pertains to a Conference held in Delhi on the "Impact of Globalization on Industrial Relations" and probably refers to the Discussion Paper circulated on behalf of a Professor of IMI, New Delhi. Views expressed in the Paper are, thus, not of FICCI.

(b) to (d) The joint ventures are entered into by the Indian companies with foreign collaborators with mutual agreements as per their commercial judgements and the technology transfer, if envisaged, is expected to be of the latest technology or otherwise with the induction of interior technologies, such companies would not be able to withstand the market conditions.

लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु उठाये जाने वाले कदम

1295. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश में लघु उद्योग इकाइयों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) लघु उद्योगों को उनकी रूग्णता को दूर करने के लिये सहायता देने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिये संरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूची वाणिज्यिक बैंकों से एकत्रित आंकडों के अनुसार रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या में मार्च, 1995 के अंत में 2,68,815 से मार्च 1996 के अन्त में 2,62,376 गिरावट आई है।

(ग) लघु उद्योगों द्वारा महसूस की जाने वाली प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित है।

1. सीमित वित्तीय संसाधन,
2. संगठन, वित्तीय तथा प्रबंध कार्यकुशलता की कमी,
3. विकसित अवसंचरना की कमी,
4. विलम्बित और अपर्याप्त ऋण,
5. बड़े उद्योगों द्वारा विलम्ब से भुगतान,